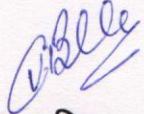


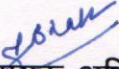
परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा (कालीगाड़)-नालीकलां मोटर मार्ग (लम्बाई 11.425 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

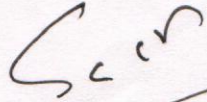
सी०ए० लैण्ड हेतु लैण्ड ऑनर एवं यूजर एजेन्सी के मध्य एग्रीमेन्ट

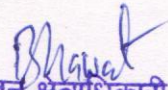
प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा (कालीगाड़) गांव से सहस्त्रधारा (कालीगाड़)-नालीकलां मोटर मार्ग (लम्बाई 11.425 कि०मी०) के नव निर्माण में प्रभावित वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य स्कीम हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि एवं वन पंचायत भूमि, जिसका क्षेत्र 9.194 है० के हस्तान्तरण हेतु दुगने क्षेत्र 18.388 है० अर्थात् 18.5 है० अवन्त वन द्वारा नाली बीट कक्ष सं०-1 में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है, को वन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी परियोजना हेतु आवंटित नहीं की गयी है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायिक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी